यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, ऊधम सिंह नगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, ऊधम सिंह नगर** के माह 08/2017 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुधीर कुमार तथा अनुज कुमार सिंघल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 04-09-2018 से 15-09-2018. तक श्री बी॰ डी॰ सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रामवीर सिंह सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं गौरव पंत लेखापरीक्षक के द्वारा दिनांक 21-08-2017 से 31-08-2017 तक श्री ए॰ सी॰ कटियार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था जिसमें माह 08/2016 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2017 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, ऊधम सिंह नगर का मुख्य कार्यकलाप विभिन्न विभागों/संस्थाओं द्वारा आबंटित निर्माण कार्यों का सम्पादन आदि संबंधी क्रियाकलाप किए जाते हैं। जनपद ऊधम सिंह नगर के अंतर्गत अच्छादित सम्पूर्ण क्षेत्र है।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) ₹	बचत (-) ₹
	स्थापना ₹	गैर स्थापना	आवंटन ₹	व्यय ₹	आवंटन ₹	व्यय ₹		
2015-16	-	2300.47	221.06	221.06	2354.48	2911.67	---	1743.28
2016-17	-	1743.28	241.53	241.53	1925.07	2405.27	---	1263.08
2017-18	-	1263.08	302.11	302.11	2089.41	1350.23	---	2002.26
2018-19 (Upto Aug. 2018)	-	2002.26	389.12	172.89	556.93	636.85	---	1922.34 (गैर स्था॰) 216.23(स्था॰)

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य (+)/ बचत (-)
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19 (Upto Aug. 2018)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्त्रोत निर्माण कार्य हेतु बजट का आवंटन विभिन्न विभागों से प्राप्त धनराशि से किए जाते हैं । विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव 2. मुख्य अभियन्ता 4. अधीक्षण अभियन्ता 5. अधिशासी अभियन्ता 6. सहायक अभियन्ता 7. अपर सहायक अभियन्ता 8. कनिष्ठ अभियंता

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में ग्रामीण निर्माण विभाग, ऊधम सिंह नगर) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, ऊधम सिंह नगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। राज्य सरकार से प्राप्त बजट का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1: विभागीय उदासीनता के कारण धनराशि रूपये 85.49 लाख का व्यय किए जाने बाद भी अंतर्निहित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाना तथा ठेकेदार को धनराशि रूपये 9.37 लाख का अनुचित लाभ पहुंचाना।

जिला योजना के अन्तर्गत युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल, ऊधम सिंह नगर के युवा केन्द्र परिसर में 10 अतिरिक्त कमरों का निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलित धनराशि रूपये 110.04 लाख स्वीकृत किया गया। जिसके सापेक्ष 03/2017 तक धनराशि रूपये 85.99 लाख द्वारा प्रेषित कर दिया गया। विभागीय दरों रूपये 10190324.06 के सापेक्ष 8.01% कम पर धनराशि रूपये 9374079.10 में उक्त कार्य की निविदा स्वीकृत की गयी। इसके लिए अनुबन्ध संख्या - 31 दिनांक 30.03.2015 गठित किया गया जिसमें श्री अलकनन्दा ट्रेडर्स (प्रो॰ आदित्य सुखीजा) सेठी मैरीज़ पैलेस गदरपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर को उक्त कार्य की निविदा स्वीकृत की गयी। बॉण्ड के अनुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 30-03-2015 तथा कार्य पूर्ण होने की तिथि 29-09-2016 निर्धारित की गयी। उक्त निर्माण कार्य को ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय सीमा चार्ट के अनुसार कार्य पूर्ण किया जाना था।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, ऊधम सिंह नगर के लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि युवा केन्द्र परिसर में अतिरिक्त कमरों का निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा 29-09-2016 तक पूर्ण कर लिया जाना था लेकिन युवा केन्द्र परिसर में 10 अतिरिक्त कमरों का निर्माण कार्य लेखा परीक्षा तिथि (अगस्त 2018) तक अपूर्ण था। जांच मे यह पाया गया की ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय सीमा चार्ट के अनुसार कार्य नहीं किया। ठेकेदार द्वारा कार्य मे अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा था और निर्माण कार्य अपने पूर्ण होने के 24 माह बाद भी अपूर्ण था ।

उक्त कार्य के लिए ठेकेदार द्वारा न तो समय वृद्धि हेतु कोई आवेदन दिया गया और न ही विभाग द्वारा समय वृद्धि हेतु कोई स्वीकृति प्रदान किए जाने से संबन्धित अभिलेख कार्यालय के अभिलेखों में पाया गया। ठेकेदार द्वारा यदि समय से कार्य पूर्ण नहीं करता तो इसके लिए विभाग द्वारा दण्ड 10% एल॰ डी॰ का प्रावधान न किए जाने के कारण ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण करने में शिथिलता बरती जा रही थी तथा ठेकेदार से कोई दण्ड वसूले जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जिससे स्पष्ट है की विभाग द्वारा ठेकेदार को (9374079.10 का 10% = 937407) रूपये 9.37 लाख का अनुचित लाभ पहुंचाया गया। जबकि ठेकेदार द्वारा वर्ष 01/2018 में धनराशि के अभाव में कार्य बंद कर दिया गया। अधिशासी अभियन्ता द्वारा 18-12-2017 के पश्चात ग्राहक विभाग (युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल, ऊधम सिंह नगर) से अवशेष धनराशि की मांग हेतु कोई कार्यवाही की गयी।

विभागीय उदासीनता के कारण धनराशि रू॰ 85.49 लाख का व्यय किए जाने के पश्चात भी निर्माण कार्य बन्द होने से अंतर्निहित उद्देश्यों की प्राप्ति भी नहीं हो पा रही तथा इसके निर्माण कार्य की लागत में भी वृद्धि होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियन्ता ने तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया कि ठेकेदार के द्वारा 01/2018 से निर्माण कार्य बन्द है तथा ठेकेदार के द्वारा समय सीमा बढ़ाये जाने हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। शेष धनराशि को प्राप्त किए जाने हेतु पत्राचार किया जायेगा, धनराशि प्राप्त होते ही निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय सीमा चार्ट के अनुसार कार्य नहीं किया तथा ठेकेदार द्वारा कार्य मे अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा था। ठेकेदार द्वारा न तो समय वृद्धि हेतु कोई आवेदन दिया गया और न ही विभाग द्वारा समय वृद्धि हेतु कोई स्वीकृति प्रदान की गयी थी। विभाग द्वारा दण्ड 10% एल॰ डी॰ का प्रावधान न किए जाने के कारण ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण करने में शिथिलता बरती जा रही थी तथा ठेकेदार को धनराशि रूपये 9.37 लाख का अनुचित लाभ पहुंचाया गया। ठेकेदार से विलम्ब के लिए कोई दण्ड वसूले जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

अतः विभागीय उदासीनता के कारण धनराशि रूपये 85.49 लाख का व्यय किए जाने के 24 माह बाद भी अपूर्ण निर्माण कार्य के अंतर्निहित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी तथा ठेकेदार से एल॰ डी॰ का प्रावधान न किए जाने के कारण धनराशि रूपये 9.37 लाख का अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-2: विभागीय उदासीनता के कारण ठेकेदार के कार्य का अंतिमिकरण न किया जाना तथा धनराशि रूपये 21.40 लाख का व्यय किए जाने के पश्चात भी अंतर्निहित उद्देश्यों की प्राप्ति न होना।

13 वें वित्त आयोग द्वारा राज्य योजना में ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत सामुदायिक सहबाजार केन्द्र भारतपुर, जसपुर के निर्माण हेतु रूपये 43.07 लाख की स्वीकृति संख्या 2250 वर्ष 2014-15 में प्रदान की गयी। विभाग को उक्त निर्माण कार्य के लिए 03/2015 में धनराशि रूपये 43.07 लाख अवमुक्त किए गए थे। उक्त कार्य के लिए अनुबन्ध संख्या - 04 दिनांक 16-05-2015 को गठित किया गया जिसमें मैसर्स यश कन्स्ट्रकशन, काशीपुर को प्राक्कलन की धनराशि रूपये 39,68,991.5 के सापेक्ष 11.00 प्रतिशत कम पर धनराशि रूपये 35,32,402.31 में उक्त कार्य की निविदा स्वीकृत की गयी। अनुबन्ध के अनुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 17.07.2015 तथा कार्य पूर्ण होने की तिथि 16.01.2016 निर्धारित की गयी। अनुबन्ध के अनुसार 45 दिन में 25 प्रतिशत, 03 माह में 50 प्रतिशत, 3.5 माह में 75 प्रतिशत तथा 06 माह कार्य शत प्रतिशत पूर्ण कर लिया जायेगा।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, ऊधम सिंह नगर के निर्माण कार्य के अभिलेखों की नमूना जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सामुदायिक सहबाजार केन्द्र भारतपुर, जसपुर का निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा 16-01-2016 तक पूर्ण कर लिया जाना था लेकिन सामुदायिक सहबाजार केन्द्र का निर्माण कार्य लेखा परीक्षा तिथि (अगस्त 2018) तक अपूर्ण था। जांच मे यह पाया गया कि विभाग द्वारा एमओयू न तो ठेकेदार से और न ही ग्राहक विभाग से किया गया।

आगे जांच मे यह पाया गया की ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय सीमा चार्ट के अनुसार कार्य नहीं किया गया था। ठेकेदार द्वारा कार्य में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा था और निर्माण कार्य अपने पूर्ण होने के 31 माह बाद भी अपूर्ण था।

निर्माण विभाग द्वारा प्राक्कलन की धनराशि 5 प्रतिशत से अधिक कम राशि पर निविदा स्वीकार करने के कारण कार्य की गुणवत्ता से समझौता किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। जिसके फलस्वरूप ठेकेदार द्वारा वर्ष 02/2017 में कार्य बंद कर दिया गया और कार्य के अंतिमिकरण हेतु आवेदन किया गया।

विभागीय उदासीनता के कारण ठेकेदार का 18 माह से कार्य बन्द होने पर भी अनुबंध का अंतिमिकरण भी नहीं किया गया एवं धनराशि रू॰ 21.40 लाख का व्यय किए जाने के पश्चात भी सामुदायिक सहबाजार केन्द्र के अंतर्निहित उद्देश्यों की प्राप्ति भी नहीं हो पा रही तथा जिसके परिणाम स्वरूप निर्माण कार्य की लागत में भी वृद्धि होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर अधीक्षण अभियन्ता ने तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया कि निर्माण कार्य 26.04.2018 से बन्द है वर्तमान में निर्माण कार्य अपूर्ण है ठेकेदार के द्वारा 65 प्रतिशत कार्य किया गया है। ठेकेदार से निर्माण कार्य के विलम्ब से किए जाने हेतु विलम्ब शुल्क वसूल नहीं किया गया ।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा एमओयू न तो ठेकेदार से और न ही ग्राहक विभाग से किया गया। ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय सीमा चार्ट के अनुसार कार्य नहीं किया गया था। ठेकेदार द्वारा कार्य में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा था ठेकेदार द्वारा वर्तमान तक 65 प्रतिशत ही कार्य किया गया जबकि निर्माण कार्य 01/2016 में पूर्ण कर लिया जाना था और निर्माण कार्य अपने पूर्ण होने के 31 माह बाद भी अपूर्ण था। विभागीय उदासीनता के कारण ठेकेदार का 18 माह से कार्य बन्द होने पर भी अनुबंध का अंतिमिकरण भी नहीं किया गया एवं धनराशि रू॰ 21.40 लाख का व्यय किए जाने के पश्चात भी सामुदायिक सहबाजार केन्द्र के अंतर्निहित उद्देश्यों की प्राप्ति भी नहीं हो पा रही थी।

अतः विभागीय उदासीनता के कारण ठेकेदार के कार्य के अंतिमिकरण हेतु आवेदन करने के पश्चात भी विभाग द्वारा अनुबंध का अंतिमिकरण नहीं किया गया एवं धनराशि रू॰ 21.40 लाख का व्यय किए जाने के पश्चात भी सामुदायिक सहबाजार केन्द्र के अंतर्निहित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं हो रही थी।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर-3: रु. 7.763 लाख की धनराशि के अवरुद्ध होने के कारण निहित उद्देश्यों की पूर्ति न होना।

नियमानुसार किसी भी स्वीकृत कार्य की धनराशि प्राप्त हो जाने के बाद यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ हो जाना चाहिए ताकि जिस उद्देशय हेतु धनराशि वितरित की गयी है उन उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके ।

विधायक निधि से कराये जाने वाले कार्यों से संवन्धित अभिलेखों की जांच के दौरान प्रकाश में आया कि स्वीकृत धनराशि रु. 10.35 लाख के सापेक्ष धनराशि रु. 7.763 लाख की प्राप्ति विगत तीन वर्षो अथवा उससे पूर्व ही हो चुकी थी परंतु लेखापरीक्षा तिथि तक कार्य प्रारम्भ ही नहीं किए गए थे।

लेखा परीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया कि उक्त कार्य परिवर्तित होने है ।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि कार्य संशोधित होने कि स्वीकृति वर्ष 2018 की है जबकि विभाग को धनराशि वर्ष 2015 अथवा उससे पूर्व ही प्राप्त हो चुकी थी। अत: धनराशि रु. 7.763 लाख के अवरुद्ध रखने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-4: रु. 50 लाख के स्वीकृत कार्य के लिए नियमविरुद्ध एक से अधिक अनुबन्ध किया जाना।

नियमानुसार किसी एक स्वीकृत कार्य के लिए एक ही अनुबन्ध किया जाना चाहिए एवं कार्य को टुकड़ों में तोड़कर अलग अलग अनुबन्ध नही किए जाने चाहिए।

विभाग के निर्माण कार्यों से संबन्धित अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि पशु चिकित्सालय परिसर काशीपुर एवं शूकर प्रजनन प्रक्षेत्र काशीपुर की चाहर दिवारी के निर्माण रु. 50.00 लाख की स्वीकृति शासनादेश सं. 3152 दिनांक 13.10.2015 के द्वारा प्राप्त हुई। कार्य के प्रारम्भ की तिथि 07/2016 एवं पूर्ण होने की तिथि 07/2017 थी। स्वीकृत धनराशि 50.00 लाख के सापेक्ष पत्रांक 3152 दिनांक 13.10.2015 के द्वारा रु. 9.20 लाख, पत्रांक 2769 दिनांक 29.12.2016 के द्वारा रु. 10.80 लाख एवं पत्रांक 3114 दिनांक 25.01.2018 के द्वारा रु. 5.73 लाख प्राप्त हुए। प्रथम दो किश्तों की कुल धनराशि रु. 20.00 लाख के सापेक्ष स्वीकृत आगणन रु. 19.44 लाख के लिए दो अनुबंध किए जा चुके थे जिनकी अनुबन्ध राशि रु. 16.77 लाख थी। अनुबंधों का विवरण निम्न प्रकार से है:

क्रम सं.	**अनुबन्ध सं.**	**ठेकेदार का नाम**	**स्वीकृत आगणन**	**अनुबन्ध की राशि**
1.	10/ग्रा.नि.वि./सहा.अभि./2016-17 दिनांक 23.06.2016	मै. त्यागी ब्रदर्स (प्रो.अनिल त्यागी)	रु.900134/-	रु.898783/-
2.	02/ई.ई./ ग्रा.नि.वि./ 2017-18 दिनांक 13.06.2017	श्री पूरन सिंह	रु. 1044325/-	रु.778022/-
		योग	**रु.1944459/-**	**रु.1676805/-**

लेखा परीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर तथ्यों की पुष्टि की गयी एवं बताया गया कि धनराशि उपलब्धता एवं अतिरिक्त दायित्व सृजित नहीं किए जाने के कारण कार्य को टुकड़ों में तोड़ा गया। विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि उच्च अधिकारी कि संस्तुति से बचने के लिए कार्य को टुकड़ो में तोड़ा गया एवं एक कार्य के लिए एक से अधिक अनुबंध किए गए, साथ ही संज्ञान में लाना है कि रु. 16.75 लाख का व्यय हो जाने के पश्चात भी कार्य लेखापरीक्षा तिथि तक पूर्ण नहीं हुआ था।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 01: रुपये 475.81 लाख के व्यय के बाद भी सड़कों का निर्माण पूरा न किया जाना।

वर्ष 2015-16 में उत्तराखंड सरकार ने अपनी ग्रामीण सड़क और ड्रेनेज विभाग के जरिए जिला ऊधम सिंह नगर के ग्रामीण इलाके में सात सड़कों के निर्माण के लिए 488.84 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। उपर्युक्त कार्य (चरण -1) अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग, रुद्रपुर को कुछ शर्तों के साथ आवंटित किया गया था। उक्त कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है-

(Rs. in lakh)

Sl No	Particular of work	Date of govt. order	Sanctioned Amount	Up to date Exp.	Date of Start of work	Physical Progress	Date of Stoppage of Work	Revised estimate submitted For Rs. (With date)
1	Construction of 1.5 km road from khatima to Bagga.	17.03. 2015	62.86	61.95	09/15	80 %	06/18	100.00 19.3.16
2	Construction of 0.6 km road from kulha main road to kulha khas.	30. 7.2015	25.79	25.79	09/15	90 %	05/16	49.08 19.3.16
3	Construction of 2.0 km road from Lalpur nagla main road to Rameshwer.	8. 04. 2015	72.78	70.40	09/15	90 %	05/18	137.56 19.3.16
4	Construction of 1.5 km road from Nanak matta main road to ranshali.	19. 03.2015	79.31	77.03	09/15	90 %	06/18	123.01 19.3.16
5	Construction of 1.73 km road from Baberkhera to Hariyawala (Jaspur).	19. 03.2015	82.89	78.21	09/15	90 %	03/18	126.69 19.3.16
6	Construction of 1.98 km road from dhakiyakala to Mahadev nagar (Kashipur).	19. 03.2015	102.54	102.38	09/15	80 %	03/18	146.70 19.3.16
7	Construction of 1.50 km road from Tanda Amichand to Ujhani Duli (Kashipur).	19. 03.2015	62.67	60.05	09/15	90 %	03/18	111.12 19.3.16
			488.84	475.81				794.16

राज्य सरकार के दिनांक 19.02.2016 के आदेश के अनुसार, उपर्युक्त कार्यों का फुटपाथ डिजाइन California Bearing Ratio (CBR) के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसे मिट्टी की क्षमता के आधार पर पंत नगर विश्वविद्यालय से डिजाइन कराया जाना था।।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता ऊधम सिंह नगर के अभिलेखों की जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि जहां सड़कों का निर्माण किया जाना था वहाँ शुरुआती चरण में प्रखण्ड ने संबंधित साइटों के सीबीआर पर विचार किए बिना अनुमान (रुपये 794.16 लाख) तैयार किए। इस प्रकार किसी भी सीबीआर रिपोर्ट की अनुपस्थिति में टीएसी ने उपर्युक्त सड़कों के अनुमानों को कम किया और उत्तराखंड सरकार के टीएसी द्वारा स्वीकृत अनुमानों के आधार पर प्रत्येक कार्य के पक्ष में उपर्युक्त राशि मंजूर की गई।

यह आगे देखा गया था कि उपर्युक्त कार्य विभाग द्वारा 05/2016 से 06/2018 की अवधि में धनराशि की कमी एवं संशोधित अनुमानों के प्रस्तुत करने के कारण रोक दिया गया था। हालांकि, काम शुरू होने से तीन साल बीत चुके हैं लेकिन निवासियों को बेहतर सड़क सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रखण्ड द्वारा अब तक कोई काम पूरा नहीं हुआ है। इस प्रकार, सीबीआर रिपोर्ट के आधार पर अनुमान तैयार करने के लिए प्रखण्ड की विफलता के कारण उपर्युक्त सड़कों का काम अब तक पूरा नहीं हो सका।

विभागीय उदासीनता के कारण धनराशि रूपये 475.81 लाख का व्यय किए जाने के पश्चात भी निर्माण कार्य बन्द होने से अंतर्निहित उद्देश्यों की प्राप्ति भी नहीं हो पा रही तथा इसके निर्माण कार्य की लागत में भी वृद्धि होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। जिसके लिए विभाग द्वारा पुनरीक्षित आगणन धनराशि रूपये 794.16 लाख का माह 03/2016 में प्रेषित किया गया जिसकी स्वीकृति सम्प्रेक्षा अवधि तक अप्राप्त थी।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियन्ता ने कोई उत्तर नहीं दिया।

अतः उक्त से स्पष्ट था कि विभाग द्वारा उक्त प्रकरण की स्वीकारोक्ति दी गयी। विभागीय उदासीनता के कारण धनराशि रूपये 475.81 लाख का व्यय किए जाने के पश्चात भी निर्माण कार्य बन्द होने से अंतर्निहित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं पाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
37/2004-05	01	00
78/2005-06	01	2,3
33/2009-10	00	01
100/2011-12	00	1,2,3
45/2014-15	00	1,2,3,4
50/2016-17	00	1,2,3,4,5,6,7
68/2017-18	01	01,02,03

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	----------	अप्रस्तुत	----------	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-------शून्य-------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, ऊधम सिंह नगर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
3. अनुपालन आख्या।
4. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

5. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	नाम	पद नाम	अवधि
1	इं० विनोद कुमार	अधिशासी अभियन्ता	03/07/2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजकि क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)